

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से आरपीएससी-2015 में चयनोपरान्त व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) संस्कृत वेतन पे मैट्रिक्स एल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1)एफडी /नियम/2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये, निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा संस्कृत को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 01 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 09 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स एल-12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 09 में अंकित) से इनका व्याख्याता स्कूल शिक्षा संस्कृत के पद पर स्थाईकरण किया जाता है :-

क्र.सं.	पुराना मेरिट नं.	नया मेरिट नं.	वर्ग	नाम प्राध्यापक संस्कृत (श्री/श्रीमति/सुश्री)	पदस्थापन स्थान (राजमावि)	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	218	BC WE RG NG	SAROJ	GOVT. SR. SEC. SCH. KANUTA, SUJANGARH, CHURU	1/7/1979	31-10-2018	31-10-2020
2	-	309	ST, RG	PAWAN KUMAR MEENA	GOVT. SR. SEC. SCH. CHANDPUR, ALWAR	1/1/1977	2/11/2018	2/11/2020
3	-	317	ST, WE, RG	NEETU KUMARI MEENA	GOVT. SR. SEC. SCH. GANGAPUR CITY, SAWAI MADHOPUR	1/7/1991	1/9/2018	1/9/2020
4	-	68	BC, WE, RG	SANDHYA	GOVT. GIRLS SR. SEC. SCH. ROOPWAS BHARATPUR CURRENTLY DEP. AT Rajkiya Maharaja, Sarwajanik Mandal, Pustkalay Jaipur	14-01-1980	5/7/2017	14-08-2019
5	-	156	GE, WE, RG	DEEPIKA TIWARI	GOVT. SR. SEC. SCH. SAIMLI, NAGAR, BHARATPUR	20-10-1988	31-10-2018	15-12-2020

नोट:- क्र.सं. 04 पर अंकित कार्मिक श्रीमती संध्या के परिवीक्षाकाल में 70 दिवस के असाधारण अवकाश उपभोग करने के कारण इनकी स्थाईकरण तिथि में नियमानुसार 40 दिवस की वृद्धि की गई है तथा क्र.सं. 05 पर अंकित कार्मिक श्रीमती दीपिका तिवारी के परिवीक्षाकाल में 45 दिवस चाईल्ड केयर लीव (सीसीएल) उपभोग करने के कारण इनकी स्थाईकरण तिथि में नियमानुसार 45 दिवस की वृद्धि की गई है।



(सौरभ स्वामी)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/संस्कृत/स्थाईकरण-पीएससी-15/2019-20 दिनांक- 15/03/21

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान
3. संबंधित जि.शि.अ. (मुख्यालय)-माध्यमिक
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर